holding foreign passports, would be welcomed back home in case they decide to return to their motherland;

(b) the facilities Government propose to provide to them; and

(c) the steps taken to create an atmosphere to help them to come back to India?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) There is no bar to Indians who are abroad from returning to India; those with foreign passports will have to go through appropriate formalities before taking up permanent residence.

(b) Government will continue to provide facilities which have been available so far.

(c) No new steps are contemplated.

परिवार नियोजन सम्बन्धी नई योजना

*680. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन के बारे में ऐसी कोई नई योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसमें अध्यापकों, सरकारी कर्मचारियों आदि का सहयोग लिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त श्रेणियों के व्यक्तियों से किस प्रकार का सहयोग लेने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को पत्राचार एवं सम्पर्क पाठ्यक्रमों के माध्यम से जनसंख्या समस्या के बारे में आवश्यक जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई एक योजना विचाराधीन है।

(ख) इस योजना में अध्यापकों को सीधे सक्रिय परिवार नियोजन कार्य में लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, प्रशिक्षण लेने के फलस्वरूप अध्यापक स्वयं ही जनसंख्या समस्या के विभिन्न पहलुओं से परिचित हो जाएंगे और इस प्रकार वे अपने विद्यार्थियों को जनसंख्या समस्या और छोटे परिवार के लाभ के समबन्ध में सही जानकारी देने में समर्थ हो जाएंगे।

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों संबंधी सेवा नियमों में संशोधन

*681. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों संबंधी नियमों को बहुत पहले बनाया गया था और अब उनसे विभाग के सुचारू रूप से कार्य करने में अनेक रुकावटें पैदा हो रही हैं ;

(ख) यद्यपि उनमें संशोधन समय-समय पर किए जाते रहे हैं परन्तु क्या अब भी उनमें अनेक कमियां हैं और उनका पूर्ण पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन नियमों को अद्यतन बनाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?